न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/327

1. मथरा बेवा भज्जा जाति मीणा निवासी ग्राम कोरमा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. पप्पू आत्मज भज्जा नाबालिग जरिये वली प्राकृतिक संरक्षक माता जाति मीणा निवासी ग्राम कोरमा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. दिनेश आत्मज भज्जा नाबालिग जरियेवली प्रकृतिक संरक्षक माता जाति मीणा निवासी ग्राम कोरमा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. प्रधान आत्मज भज्जा नाबालिग जरिये वली प्राकृतिक संरक्षक माता जाति मीणा निवासी ग्राम कोरमा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. शैतान आत्मज भज्जा नाबालिग जरिये वली प्राकृतिक संरक्षक माता जाति मीणा निवासी ग्राम कोरमा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. खुशबू पुत्री भज्जा नाबालिग जरिये वली प्राकृतिक संरक्षक माता जाति मीणा निवासी ग्राम कोरमा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. प्रभूलाल आत्मज प्रताप जाति मीणा निवासी ग्राम कोरमा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
2. रामनिवास आत्मज प्रताप जाति मीणा निवासी ग्राम कोरमा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. खानी बेवा रामेश्वर जाति मीणा निवासी ग्राम कोरमा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. हेमराज आत्मज रामेश्वर जाति मीणा निवासी ग्राम कोरमा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. रमेश पुत्री हरलाल पत्नी महावीर जाति मीणा निवासी ग्राम सण्डीला तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे शाखा नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. भू–स्वामी जरिय तहसीलदार नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
8. राज्य सरकार जरिय जिलाधीश महोदय, बून्दी जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बद्रीप्रकाश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 13.02.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम कोरमा तहसील नैनवा जिला बून्दी की कुल 31 किता की रकबा 51 बीघा 16 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि में वादी का 1/6 हिस्सा निहित है । उक्त भूमि पक्षकारान की पुश्तैनी भूमि है जिसका पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार कर वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी क्रम 1 से 10 के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी में वादी के हिस्से 1/6 का विभाजन कब्जानुसार करवाकर अच्छी में से अच्छी बुरी में बुरी के सिद्धान्त के आधार पर मौके पर जाकर विभाजन करवाकर अमल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2016 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित कर दी।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.05.2016 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण क्रम 4 लगायत 09 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने जवाबदावा के साथ काउन्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया था । अधीनस्थ न्यायालय में दावे व जवाबदावे व काउन्टर क्लेम के आधार पर तनकी कायम कर पत्रावली साक्ष्य वादी में चल रही थी । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सूचना दिये पत्रावली को लोक अदालत में रखते हुए बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में जारी दिशा – निर्देशों व नोटिफिकेशन की पूर्णतया अवहेलना करते हुए लोक अदालत की भावना के विपरीत उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.05.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने जवाबदावे के साथ काउन्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया था । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली दावे व जवाबदावे व काउन्टर क्लेम के आधार पर तनकी कायम कर साक्ष्य वादी में चल रही थी । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सूचना दिये पत्रावली को लोक अदालत में रखते हुए बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी । अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बिना उक्त निर्णय पारित किया है । वादग्रस्त आराजी पैतृक आराजी है अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी क्रम 2 के पति व प्रतिवादी क्रम 3 के पिता रामेश्वर जो कि गंगाबिशन का पुत्र था बाल्यावस्था में ही हीरा मीणा के गोद पुत्र चला गया व अपने दत्तक पिता की सम्पत्ति में अपना अधिकार व हिस्सा प्राप्त कर लिया । अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय को

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम पर भी अपना निर्णय देना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना ही लोक अदालत की भावना के विपरीत उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया था जिसमें प्रतिवादी क्रम 4 लगायत 09 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकी कायम कर साक्ष्य वादी में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में समस्त पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा पेश किया गया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्षकारान उपस्थिति होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात पर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट रूप से निष्कर्ष पारित करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणागवुण के आधार पर निर्णय पारित करना होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.05.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए । गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.03.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 13.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13/2/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा